न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी महोदय ओसियाँ

पीठासीन अधिकारी :- रतनलाल रेगर (आर ए एस)

प्रकरण नं. संख्या 201/2020

प्रार्थीगण :-

1. सुरजाराम पुत्र श्री घमुराम
2. लिखमाराम पुत्र श्री घमुराम
3. भल्लाराम पुत्र श्री घमुराम
4. सायर पुत्री श्री घमुराम
5. जमना देवी पुत्री श्री घमुराम सभी जाति मेघवाल निवासी ग्राम रामनगर एकलखोरी तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी :-

सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :-

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार मदेरणा

अप्रार्थी पैराकार सरकार उपस्थित

निर्णय

दिनाँक 29.12.2020

प्रार्थीगण की ओर प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि तहसील तिंवरी के राजस्व ग्राम रामनगर के खसरा सख्या 2661 रकबा 48 बीघा 02 बिस्वा,, खसरा सख्या 2574 रकबा 93 बीघा 06 बिस्वा, खसरा सख्या 2650 रकबा 08 बीघा 17 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के पिता व अन्य सहखातेदारो की सयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि आयी हुई है। उक्त खसरान की भूमि पूर्व में प्रार्थीगण की दादा श्री बुधाराम के खातेदारी की थी तत्पश्चात बुद्धाराम फौत होने पर प्रार्थीगण के पिता श्री गुमनाराम पुत्र श्री बुधाराम के नाम से जरिये नामान्तरकरण दर्ज की गई । चूँकि बुधाराम की मृत्यु काफी पहले हो चुकी थी लेकिन बाद में नामान्तरकरण हाल ही में दिनॉक 24.08.2018 को स्वीकार किया गया। उक्त नामान्तरकरण दर्ज करते समय प्रार्थी के पिता श्री घमुराम के दस्तावेजो की जॉच किए बगैर ही प्रार्थीगण के पिता का नाम गुमनाराम दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थीगण के पिता का नाम आधार कार्ड राशन कार्ड आदि में गुमनाराम नही होकर घमुराम है। इसलिए उक्त खसरान की भूमि में प्रार्थीगण के पिता के नाम शुद्व करवाकर गुमनाराम के स्थान पर घमुराम दर्ज करवाना चाहते है। प्रार्थीगण के पिता का देहान्त हाल ही में दिनॉक 11.10.2018 को हो गया था जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र में प्रार्थीगण के पिता का नाम घमुराम पुत्र श्री बुधाराम स्पष्ट रूप से अंकित है। प्रार्थीगण के पिता का नाम वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में राजस्व कर्मचारियो की त्रुटिवश सहवन से बिना दस्तावेजो की जॉच किए अंकित कर दिया है। इसलिए प्रार्थीगण अपने पिता का नाम गुमनाराम पुत्र श्री बुधाराम के स्थान पर घमुराम पुत्र श्री बुधाराम दर्ज करवाना चाहते है। प्रार्थीगण के पिता का वास्तविक नाम घमुराम है जबकि प्रार्थीगण के पिता को घर में बोलचाल की भाषा में गुमनाराम के नाम से पुकारते है इसलिए प्रार्थी के पिता के देहान्त के पश्चात प्रार्थीगण के पिता का नाम घमुराम [illegible] दिया जो प्रार्थीगण के पिता का ही नाम है इसलिए उक्त नाम [illegible]

Scanned with CamScanner

होने से प्रार्थीगण को अपने पिता का नाम के देहान्त के पश्चात उनका फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज करवाने मे कठिनाई महसुस होती है। इसलिए प्रार्थी उक्त अशुद्ध नाम को शुद्ध करवाकर गुमनाराम के स्थान पर घमूराम करवाना चाहते है। अन्त में इंस्तदुआ चाही कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील तिवरी के राजस्व ग्राम रामनगर के खसरा सख्या 2661 रकबा 48 बीघा 02 बिश्वा, खसरा सख्या 2574 रकबा 93 बीघा 06 बिश्वा, खसरा सख्या 2650 रकबा 08 बीघा 17 बिश्वा भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण के पिता का नाम गुमनाराम के स्थान पर घमुराम शुद्ध किया जावे।

प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी पैराकार की सरकार की ओर से जवाब पेश हुआ कि उक्त भूमि खमनाराम उर्फ गुमनाराम पिता बुद्धाराम दर्ज है, ग्राम पंचायत मीनो की ढाणी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में प्रार्थीगण के पिता का नाम घमुराम पुत्र श्री बुद्धाराम दर्ज है। आधार कार्ड भी घमुराम पुत्र श्री गुमनाराम के नाम से जारी है तथा प्रार्थीगण के पिता का नाम आधार कार्ड के अनुसार घमुराम है तथा प्रार्थीगण वर्तमान में मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार घमुराम करवाना चाहता है। इस प्रकार से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को सवीकार करने की अनुशंशा की ।

अप्रार्थी का जवाब पेश होने पर बहस सुनी गई प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि उक्त भूमि में प्रार्थीगण के दादा की भूमि थी तत्पश्चात फौतेदगी नामान्तरकरण में प्रार्थी के पिता के नाम से दर्ज हुई जबकि प्रार्थीगण के पिता का नाम गुमनाराम नही होकर घमुराम है जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पेश है वर्तमान में उक्त नाम अशुद्ध होने से प्रार्थीगण उक्त गुमनाराम का फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज नही करवा पा रहे। जबकि गुमनाराम व घमुराम एक ही व्यक्ति है जो प्रार्थीगण के पिता है। सरकारी पैराकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को सत्य व सही बताया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता श्री गुमनाराम के नाम है तथा गुमनाराम का नाम मृत्युप्रमाण पत्र के अनुसार घमुराम पुत्र श्री बुद्धाराम है। तथा घमुराम प्रार्थीगण पिता है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अत प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि तहसील तिवरी के राजस्व ग्राम रामनगर के खसरा सख्या 2661 रकबा 48 बीघा 02 बिश्वा,, खसरा सख्या 2574 रकबा 93 बीघा 06 बिश्वा, खसरा सख्या 2650 रकबा 08 बीघा 17 बिश्वा के राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम गुमनाराम के स्थान पर घमुराम दर्ज किया जावे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार तिवरी को तहरीर जारी हो।

रतनलाल रेगर (आर ए एस)
सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ

निर्णय आज दिनाक 29/12/2020 को सरेईजलास सुनाया गया।

रतनलाल रेगर (आर ए एस)
सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ

Scanned with CamScanner